

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 198 / 2019</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>25.11.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राजपूत निवासी 79, हनुवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.03.2019 में उसके द्वारा (1) खसरा नम्बर 89/1, 95, 96, 97 व 99 रकबा 62 बीघा 3 बिस्वा ग्राम बनाड़ तहसील व जिला जोधपुर की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 एवं वर्तमान की प्रदान व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जरिये पत्रांक 600 दिनांक 16.09.19 से दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( तहसीलदार जोधपुर ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी के अपील के संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को बिन्दु संख्या-2 से संबंधित सूचना ही उपलब्ध करवाई गई तथा बिन्दु संख्या-1 से संबंधित सूचना नहीं दी गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या-एक से संबंधित सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

